



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2865]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2016/अग्रहायण 15, 1938

No. 2865]

NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 6, 2016/AGRAHAYANA 15, 1938

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3649(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात स्टेनलेस इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2016, जोकि इस्पात मंत्रालय की दिनांक 10 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2061(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया है, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को स्टेनलेस इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाएगा।
2. स्टेनलेस इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2016 (इसके बाद मूल आदेश संदर्भित किया गया है) के पैराग्राफ 1, उप पैराग्राफ (2) में शब्दों "तीन महीनों" के स्थान पर आंकड़ें और शब्द "242 दिनों" रखा जाएगा।

[फा.सं. 1(6)/2016- टीडी (खण्ड-II)]

सुनील बड़थवाल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2061(अ) दिनांक 10 जून, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था जिसे बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 2903(अ) दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF STEEL**ORDER**

New Delhi, the 6th December, 2016

S.O. 3649(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following amendment in the Stainless Steel Products (Quality Control) Order, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Steel, number S.O. 2061 (E), dated the 10th June, 2016, namely:—

1. This Order may be called the Stainless Steel Products (Quality Control) (Second Amendment) Order, 2016.
2. In the Stainless Steel Products (Quality Control) Order, 2016 (hereinafter referred to as the principal order), in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words “three months”, the figures and words “242 days”, shall be substituted.

[F. No. 1(6)/2016-TD (Vol-II)]

SUNIL BARTHWAL, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2061(E), dated 10th June, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 2903(E), dated 9th September, 2016.